रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256594
CG-DL-E-23082024-256594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3277] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946
No. 3277] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

मॉल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण)

संशोधन आदेश 2024

का.आ. 3594(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मॉल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 का करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मॉल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मॉल्डिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) यह 24 दिसंबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसीटी-59011/43/2024-पीसी टेक.-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:-मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 921(अ) द्वारा तारीख 26 फरवरी, 2024 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department Of Chemicals And Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

POLYPROPYLENE (PP) MATERIALS FOR MOULDING AND EXTRUSION (QUALITY CONTROL AMENDEMENT ORDER 2024

S.O. 3594(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2024, namely: -

1. Short title and commencement.–(1) This order may be called the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polypropylene (PP) Materials for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

"(2) It shall come into force on the 24th day of December, 2024."

[F. No. PCT-59011/43/2024-PC TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA,Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 921(E), dated the 26th February, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA